



2026: AHC: 33068-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **1178/2026**

अक्षय कुमार याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कमल देव सिंह चंचल, राजीव पुष्कर

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कमल देव सिंह ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि याचिकाकर्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इस कारण, वे इस याचिका पर बल देना नहीं चाहते हैं तथा इसे वापस लेना चाहते हैं।
2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. उपरोक्त कथन के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

13 फरवरी, 2026

केयू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"